

राजस्थान सरकार

गृह(ग्रुप-10) विभाग


क्रमांक: पं.3(1) / गृह-10 / 16 / पार्ट /

जयपुर, दिनांक: 05.03.2024

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत उप निदेशक अभियोजन के पद पर वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक की विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन(रिव्यू) करने हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री अरविन्द कुमार शर्मा पुत्र श्री उमाशंकर शर्मा (अनारक्षित) (सेवा.) को सहायक निदेशक अभियोजन से उप निदेशक अभियोजन के अस्थाई पद पर वर्ष 2010-11 में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 के वेतन बेण्ड(2) 15600-39100 ग्रेड वेतन (19) 7200/- में पदोन्नत किया जाता है।


आज्ञा से,


(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह(विधि)

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त संयुक्त / उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह(विधि)
राजस्थान, जयपुर